न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।
सिंघिया थाना काण्ड सं0 138/20, कम्पयूटर निबंधन सं0 899/20

19.9.20 आवेदक **1. रौशन कुमार रंगीला उर्फ सोनू शर्मा,** जो सिंघिया थाना काण्ड सं0 138/20, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 8.9.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वि0 लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार महतो के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नहीं किया गया है। तथाकथित जप्त शराब से उसका कोई संबंध नहीं है। उसे मात्र संदेह के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। सूचक द्वारा जप्ती सूची की प्रति उसे नही दी गयी है। आरोपित धाराएँ उसके विरूद्व नहीं बनती है। वह दिनांक 8.9.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक को गुप्त सूचना मिली कि लीला यादव अपने साथी मुकेश यादव के साथ अपने दरवाजा पर मिलकर ट्रक से अवैध अंग्रेजी शराब उतार रहा है। इस सूचना पर सूचक पुलिस बल के साथ लीला यादव के घर पर पहुँचा तो देखा कि उसके घर के सामने एक ट्रक लगा हुआ है तथा पुलिस को देखते ही 2–3 व्यक्ति भागने लगा। पुलिस के सहयोग से उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जबकि दो व्यक्ति भागने में सफल रहा। भागने वाले की पहचान स्थानीय चौकीदार के द्वारा लीला यादव एवं मुकेश यादव के रूप में किया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम रौशन कुमार रंगीला उर्फ सोनू शर्मा(आवेदक अभियुक्त) बताया। घटनास्थल पर खड़े ट्रक निबंधन सं0 जे0एच0–19बी–8096 का तलाशी लिया गया तो उसमें से उसके चालक एवं खलासी को पकड़ा गया जिसने पूछताछ में अपना नाम बबलू कुमार एवं आलोक कुमार मिश्रा बताया। उक्त ट्रक से कुल 315.00 लीटर एवं अभियुक्त लीला यादव के घर से कुल 461.250 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त विदेशी शराब का कारोबारी है जिसके विरूद्व वाद का अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की गम्भीरता तथा बरामद शराब की भारी मात्रा को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद